इन्दौर के टेलीफोन एक्सचेंज में कुप्रबन्ध

6942. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इन्दौर में स्थापित किये गये नये टेलीफोन एक्सचेंज में कुप्रबन्ध के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बार टेलीफोन केन्द्र के सामने प्रदर्शन भी किये गये हैं ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । इन्दौर की टेलीफोन सलाहकार समिति का मौजूदा कार्यकाल 30 अप्रैल, 1972 तक है ।

मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा "मजल लोडिंग" बन्दूकों के लाइसेंसेज समाप्त करने के सम्बन्ध में पारित संकल्प

6943. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या गृह मंत्री "मजल लोडिंग" बन्दूकों के लाइसेंस समाप्त करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के बारे में 7 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उक्त संकल्प की स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प में समाहित सिफारिशों निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं की गई थी :—(क) ऐसे हथियारों का जिससे गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सके लाइसेन्स समाप्त करने की अनुमति देना सरकार की नीति के विरुद्ध था ।

(ख) संसद ने शस्त्र विधेयक पर विचार करते समय एम. एल. बन्दूकों को लाइसेन्स की आवश्यकता से मुक्त रखने के प्रश्न पर विचार किया था परन्तु सुझाव स्वीकार नहीं किया गया ।

(ग) मजल लोडिंग बन्दूकों का लाइसेन्स प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं थी जैसा कि लाइसेन्स का शुल्क नाम मात्र का था और शस्त्र अधिनियम ने लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी के लिये अनिवार्य कर दिया कि फसल के वास्तविक बचाव के लिए मजल लोडिंग बन्दूक का लाइसेन्स प्रदान करे ।

Transfers of Officers by Former Akali Government in Punjab

6944. SHRI PRABODH CHANDRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state ;

(a) whether the Government of India have received any complaint regarding transfers of Senior Officers by the former Akali Government just a few days before the dissolution of the Punjab Vidhan Sabha with a view to put Officers with pro-Akali views in key positions; and

(b) if so, the action taken on the said complaint ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir. Some complaints have been received by Government in this regard.

(b) The complaints have been forwarded to the Government of Punjab for necessary action.

Production of readymade garments

6945. SHRI VIJAY PAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of units engaged in the production of ready made garments in the country; and

(b) their total annual turn over ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Information is being collected and would be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच हिन्दी में पत्र व्यवहार

6946. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को कम से कम 100 पत्र हिन्दी में भेजे थे पर केन्द्रीय सरकार ने उनमें से किसी एक का भी उत्तर हिन्दी में नहीं दिया; और

(ख) क्या भारत सरकार की यह नीति रही है कि राज्यों से केन्द्र को हिन्दी में आने वाले पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाता है और यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में इस नीति का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जिन 100 पत्रों के बारे में आपत्ति उठाई गई है उनके भेजे जाने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु गृह मंत्रालय में तुरंत उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 1-1-1971 से 31-3-1971 तक की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन से हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सामान्यतः हिन्दी में ही दिया गया। इस बारे में स्थिति बताने वाला एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, श्रीमन्। मूल पत्र-व्यवहार में लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्रों, तकनीकी तथा कानूनी मामले वाले पत्रों और सभी राज्य सरकारों को सम्बोधित परिपत्रों, को छोड़ कर इसी नीति का पालन किया जाता है। यह नीति दिल्ली प्रशासन से पत्र-व्यवहार पर भी इसी प्रकार लागू होती है।

विवरण

1-1-1971 से 31-3-1971 तक की अवधि में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में दिल्ली प्रशासन से हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या तथा उनके उत्तर में हिन्दी तथा अंग्रेजी में भेजे गये पत्रों की संख्या।